प्रेषक,

ई–मेल/अति महत्वपूर्ण

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/1556 लखनऊ दिनांक – 26/07/2018

विषय– प्रदेश के जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के प्रति जनमानस को जागरूक करने तथा तम्बाकू नियंत्रण हेतु समस्त स्वास्थ्य इकाइयों पर 'येलो लाइन'' कैम्पेन चलाये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि आपके जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

कृपया दिनांक 05.07.2018 को सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। **(छायाप्रति संलग्न)**

उक्त कार्यवृत्त में निर्देश दिये गये है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के प्रति लोगों को प्रचार–प्रसार सामग्री, नुक्कड़ नाटक, रैली, प्रतियोगिता, यलो लाइन, आर्ट कम्पटीशन के माध्यम से जागरूक करें, जिससे कि जनमानस को तम्बाकू से होने वाली हानियों से बचाया जा सकें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अगस्त माह (01 अगस्त, 2018 से 30 अगस्त, 2018 तक) में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के क्रियान्वयन हेतु ''तम्बाकू से आजादी (Freedom from Tobacco) अभियान चलाकर प्रचार–प्रसार के माध्यम से जनपद के प्रत्येक स्वास्थ्य इकाईयों, समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाये तथा प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान को दृष्टिगत रखते हुए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू छोड़ने हेतु शपथ दिलाई जाय। **(शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न)**

उक्त गतिविधियों हेतु राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत उपयुक्त मद यथा–प्रशिक्षण, फ्लैक्सीपूल, आई0ई0सी0 इत्यादि मद से प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नियमों/उपनियमों एवं अन्य वित्तीय प्राविधानों के अनुरूप व्यय किया जा सकता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत नवीनीकृत स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले विद्यालय कार्यक्रम–2017–18, जो कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में किये जाने है, को जुलाई, 2018 तक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, का समय विस्तारित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अगस्त, 2018 तक निर्धारित उक्त निर्धारित विद्यालय कार्यक्रम को सम्पन्न कराते हुए भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

उक्त समस्त गतिविधियों को सम्पन्न कराये जाने की रूपरेखा पत्र के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार आप जनपद में उक्त गतिविधियों का संचालन कराते हुए सूचना अधोहस्ताक्षरी की ई–मेल –nodal.ntcp.up@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

निदेशक (स्वास्थ्य)
राज्य नोडल अधिकारी,

पष्ठांकन संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/ तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–(ई–मेल के माध्यम से)

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन।
3– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
4– डा0 स्वास्तीचरन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5–उपमहाप्रबंधक, असंचारी रोग नियंत्रण प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
6– समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप जनपद में उक्त गतिविधियों को सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए अपने स्तर से समीक्षा करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

प्रेषक,

ई–मेल/अति महत्वपूर्ण

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/ लखनऊ दिनांक – 26/07/2018

विषय– प्रदेश के जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के प्रति जनमानस को जागरूक करने तथा तम्बाकू नियंत्रण हेतु समस्त स्वास्थ्य इकाइयों पर 'येलो लाइन'' कैम्पेन चलाये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि आपके जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

कृपया दिनांक 05.07.2018 को सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। **(छायाप्रति संलग्न)**

उक्त कार्यवृत्त में निर्देश दिये गये है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के प्रति लोगों को प्रचार–प्रसार सामग्री, नुक्कड़ नाटक, रैली, प्रतियोगिता, यलो लाइन, आर्ट कम्पटीशन के माध्यम से जागरूक करें, जिससे कि जनमानस को तम्बाकू से होने वाली हानियों से बचाया जा सकें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अगस्त माह (01 अगस्त, 2018 से 30 अगस्त, 2018 तक) में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के क्रियान्वयन हेतु ''तम्बाकू से आजादी (Freedom from Tobacco) अभियान चलाकर प्रचार–प्रसार के माध्यम से जनपद के प्रत्येक स्वास्थ्य इकाईयों, समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाये तथा प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान को दृष्टिगत रखते हुए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू छोड़ने हेतु शपथ दिलाई जाय। **(शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न)**

उक्त गतिविधियों हेतु राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत उपयुक्त मद यथा–प्रशिक्षण, फ्लैक्सीपूल, आई0ई0सी0 इत्यादि मद से प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नियमों/उपनियमों एवं अन्य वित्तीय प्राविधानों के अनुरूप व्यय किया जा सकता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत नवीनीकृत स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले विद्यालय कार्यक्रम–2017–18, जो कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में किये जाने है, को जुलाई, 2018 तक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, का समय विस्तारित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अगस्त, 2018 तक निर्धारित उक्त निर्धारित विद्यालय कार्यक्रम को सम्पन्न कराते हुए भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

उक्त समस्त गतिविधियों को सम्पन्न कराये जाने की रूपरेखा पत्र के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार आप जनपद में उक्त गतिविधियों का संचालन कराते हुए सूचना अधोहस्ताक्षरी की ई–मेल –nodal.ntcp.up@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

निदेशक (स्वास्थ्य)
राज्य नोडल अधिकारी,

पष्ठांकन संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/1557-62 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–(ई–मेल के माध्यम से)

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन।
3– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
4– डा0 स्वास्तीचरन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5–उपमहाप्रबंधक, असंचारी रोग नियंत्रण प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
6– समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप जनपद में उक्त गतिविधियों को सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए अपने स्तर से समीक्षा करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के प्रभावी संचालन हेतु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 05.07.2018 को स्टेक होल्डर के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त :–

बैठक में प्रतिभाग करने वाले सभी अधिकारियों की सूची संलग्न है।

परिचयोपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई।

बैठक प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम डा0 आलोक कुमार, संयुक्त निदेशक(स्वास्थ्य)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा पॉवर प्वाइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश में चलाये जा रहे राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अद्यतन स्थिति, विषमताओं एवं उनके निवारण हेतु सुझाव रखे गये।

राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 द्वारा चलाये गये "येलो लाइन" कैम्पेन का विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपने आधिकारिक वेबसाइट पर संज्ञान लिये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा कुम्भ मेला, 2019 में प्रचार–प्रसार के माध्यम से गतिविधियों को चलाये जाने एवं जनमानस को जागरूक करने एवं "येलो लाइन" कैम्पेन चलाये जाने के साथ ही साथ प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य इकाईयों में प्रदेश व्यापी "येलो लाइन" कैम्पेन चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

सीमा गुप्ता, निदेशक, वी0एच0ए0आई0 (स्वयं सेवी संस्था) द्वारा प्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला गया, जिसमें उनके द्वारा राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को किये जा रहे सहयोग के बारे में बताया गया कि राज्य तम्बाकू प्रकोष्ठ द्वारा तम्बाकू नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रयासों जैसे जनपदों के एन0टी0सी0पी0 कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण में सहयोग, सभी स्वास्थ्य इकाईयों को तम्बाकू मुक्त बनाने में सहयोग, उत्तर प्रदेश ग्लोबल एडल्ट टोबैको रिपोर्ट का प्रसारण किये जाने में सहयोग किया गया।

सीमा गुप्ता, निदेशक, वी0एच0ए0आई0 (स्वयं सेवी संस्था) द्वारा प्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के सफल क्रियान्वयन हेतु पुलिस विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाहियों एवं रिपोर्टिंग हेतु सघन समीक्षा किये जाने की जरूरत बताई गई। उक्त के अतिरिक्त होटल रेस्टोरेंट, पब एवं बार में अधिकृत धूम्रपान क्षेत्र के अनुपालन हेतु एवं प्रदेश में ई–सिगरेट पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की बात पर जोर दिया गया, जिस पर अपेक्षा की गयी कि तम्बाकू नियंत्रण एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के प्रभावी क्रियान्वयन में पुलिस विभाग द्वारा राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की यथासम्भव प्रयास/सहायता की जाय।

श्री विवेक अवस्थी, डायरेक्टर, यू0पी0वी0एच0ए0 (स्वयं सेवी संस्था) द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के प्रभावी क्रियान्वयन में वेन्डर लाइसेंसिंग एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ0सी0टी0सी0 के अनुच्छेद–5.3 को लागू किये जाने की अपेक्षा की गयी, उनके द्वारा बताया गया कि प्रदेश में वेन्डर लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू नही होने के कारण जनपदों में यत्र तत्र दुकानें खोली जा रही है, जिसमें खाद्य पदार्थों के साथ ही साथ तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की जा रही

है। यहां तक कि नाबालिग बच्चों के द्वारा उस तरह की दुकानों का संचालन किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में उन्होंने श्री अरूण झा, आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रेषित पत्र में भी प्रदेश में वेन्डर लाइसेंसिंग लागू किये जाने की अपेक्षा की है।

श्री अवस्थी द्वारा बताया गया कि यदि प्रदेश में वेन्डर लाइसेंसिंग एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ0सी0टी0सी0 अनुच्छेद–5.3 को लागू करने से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने में अत्यधिक सहयोग मिल सकता है।

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की भूमिका एवं अपेक्षाएँ :–

- ✓ **स्वास्थ्य विभाग** :– तम्बाकू के उपयोग से शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो इससे प्रभावित न होता हो। जिसमें मुख्यतः कैंसर, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी अधिक होती है। नोडल विभाग होने के नाते स्वास्थ्य विभाग कि जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। अतः आशा की जाती है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करते हुए तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं कोटपा–2003 के प्रभावी अनुपालन तथा संस्थानीकरण को तीव्र गति प्रदान की जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग अपने अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों यथा NCD Programme, RNTCP, RBSK, RKSK इत्यादि में तम्बाकू नियंत्रण को प्रभावी तरीके से सम्मिलित किया जाए।
- ✓ **शिक्षा विभाग** :– विद्यालयों में तम्बाकू/तम्बाकू से निर्मित पदार्थों, गुटखा आदि से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक विसंगतियों और गंभीर बीमारी के बारे में बच्चों एवं शिक्षकों के बीच जागरूकता फैलायी जाय क्योंकि बच्चे हीं देश के भविष्य हैं। साथ ही पाठ्य पुस्तकों में तम्बाकू नियंत्रण संबंधी आवश्यक जानकारी मुद्रित करायी जायें। शिक्षण संस्थानों के निश्चित दायरे (100 गज) के अंदर किसी भी तम्बाकू पदार्थ यथा गुटखा, पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए एवं इससे संबंधित बोर्ड भी प्रदर्शित किये जायें तत्सम्बन्धी निषेधात्मक कृत कार्यवाहियों की मासिक समीक्षा करते हुए उसकी सूचना संकलित कर अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित किया जाय।
- ✓ **गृह विभाग** :–राज्य में कोटपा (2003) को सफलतापूर्वक लागू करने में गृह विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि पुलिस के सहयोग के बिना चालान/दण्ड व्यवस्था को स्थापित करना काफी कठिन है। पुलिस के सहयोग से कोटपा के अनुपालन को बल मिलेगा तथा छापेमारी एवं दण्ड व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी। साथ ही राज्य के सभी थानों पर "धूम्रपान निषेध क्षेत्र–यहाँ धूम्रपान करना एक दण्डनीय अपराध है" का साईन बोर्ड लगाते हुए इसका शब्दशः पालन करवाया जाये एवं उपरोक्त की कोटपा–2003 में निहित सेक्शन वार मासिक समीक्षा करते हुए तत्सम्बन्धी निषेधात्मक कृत कार्यवाहियों की सूचना का संकलन कर अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित किया जाय।

- ✓ **सूचना एवं जन संपर्क विभाग** :– इस विभाग द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया में तम्बाकू के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर निगरानी रखी जाए ताकि किसी भी तम्बाकू पदार्थ का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सके। साथ ही टेलीविजन/सेंसर बोर्ड के माध्यम से होने वाले तम्बाकू के लुभावनीकरण (ग्लेमोराईजेसन) को रोके। सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा तम्बाकू नियंत्रण के मुद्दे पर सघन अभियान चलाया जाए।
- ✓ **वित्त/वाणिज्य कर विभाग** :– वित्त विभाग की तम्बाकू नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वित्त विभाग द्वारा कर में बढ़ोत्तरी से अधिक–से–अधिक राजस्व की उगाही होगी तथा तम्बाकू का उपयोग भी कम होगा।
- ✓ **कृषि विभाग** :– कृषि विभाग से अपेक्षा है कि वे किसानों को प्रेरित करें कि तम्बाकू की खेती कम–से–कम की जाय तथा वैकल्पिक फसल के उत्पादन को बढ़ाया जाए। इस हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जायें तथा इसके लिए आवश्यक सब्सिडी प्रदान की जाए।
- ✓ **श्रम संसाधन विभाग** :– लोगों को तम्बाकू से होने वाली हानि एवं विनाशकारी परिणामों के संबंध में जानकारी प्रदान की जाये एवं तम्बाकू उत्पादन, निर्माण मुख्यतः बीड़ी उत्पादन में लगे कर्मियों के लिये आवश्यक कदम उठाए जाये ताकि उन लोगों को सही रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए।
- ✓ **ग्रामीण विकास विभाग** :– ग्रामीण विकास विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये तम्बाकू नियंत्रण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठा सकती है। अपने विभाग से जुड़े स्वयंसेवी संस्थानों को भी तम्बाकू नियंत्रण में कार्य करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं। साथ ही ये विभाग तम्बाकू उत्पादन करने वालों को वैकल्पिक आजीविका के साधन उपलब्ध करा सकती है उदाहरणस्वरूप–मनरेगा। साथ–साथ ग्रामीणों में जागरूकता फैलाया जाए, लोगों को कोटपा के नियमों से अवगत कराया जाय एवं इस हेतु प्रचार–प्रसार भी किया जाए।
- ✓ **खेल एवं युवा विभाग** :– खिलाड़ियों को सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा के सेवन से होने वाली खतरनाक बीमारी से अवगत कराया जाए तथा खिलाड़ियों को खेल के दौरान यदा–कदा इस हेतु विरोध प्रदर्शित करने के लिए काली पट्टी का इस्तेमाल करवाया जाए। किसी भी तम्बाकू निर्माता कम्पनी से महोत्सव/खेल आयोजन हेतु किसी भी प्रकार की सहायता न ली जाए।
- ✓ **परिवहन विभाग** :– परिवहन विभाग द्वारा बसों पर धुम्रपान न करने हेतु पोस्टर/नोटिस अंकित किया जाए तथा साथ ही बस के अंदर बैठे लोग धुम्रपान/गुटखा सेवन न करें उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। बस अड्डों एवं चेकपोस्टों पर धुम्रपान रोकने हेतु **"धुम्रपान निषेध क्षेत्र–यहाँ धुम्रपान करना एक दण्डनीय अपराध है"** का बोर्ड प्रदर्शित किए जायें, साथ ही विभाग के परिक्षेत्रों की निषेधात्मक कृत कार्यवाही की मासिक समीक्षा करते हुए उसकी संकलित सूचना अपने उच्चाधिकारी को भेजे।
- ✓ **पर्यटन विभाग** :– पर्यटन विभाग द्वारा सभी पर्यटक स्थलों, होटलों/मोटलों/रेस्टोरेंटों आदि में **"धुम्रपान निषेध क्षेत्र–यहाँ धुम्रपान करना एक दण्डनीय अपराध है"** का साईन बोर्ड प्रदर्शित कराया

जाए। राज्य के प्रमुख एवं प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को "तम्बाकू मुक्त" घोषित किया जाय, तत्सम्बन्धी निषेधात्मक कृत कार्यवाही की मासिक समीक्षा करते हुए उसकी सूचना अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित की जाय।

✓ **समाज कल्याण विभाग** :– तम्बाकू का उपयोग एक समाजिक समस्या भी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत **आई०सी०डी०एस० केन्द्रों** पर भी तम्बाकू के गंभीर खतरे के बारे में प्रचार–प्रसार किया जाय। अपने विभाग से जुड़े स्वयंसेवी संस्थानों को भी तम्बाकू नियंत्रण में कार्य करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं।

✓ **पंचायती राज विभाग** :– पंचायती राज विभाग से आशा है कि तम्बाकू नियंत्रण का प्रचार–प्रसार कर गाँव–गाँव तक पहुँचाने में सहयोग करेंगे। पंचायती राज विभाग द्वारा गाँव अथवा पंचायत को **"तम्बाकू मुक्त"** घोषित किया जाए ताकि इसका संदेश दूर–दूर तक फैले।

✓ **पर्यावरण एवं वन विभाग** :– पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा तम्बाकू उत्पादन, निर्माण एवं उपयोग से होने वाले पर्यावरण खतरे के बारे में आमजन को प्रचार–प्रसार के माध्यम से जगरूक किया जा सकता है। साथ ही तम्बाकू उद्योग से होने वाले पर्यावरण खतरे को कम करने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए।

बैठक में लिये गये मुख्य निर्णयः–

➢ सभी सरकारी विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को मिल कर "धूम्रपान/तम्बाकू मुक्त उ0प्र0 की दिशा में कदम बढाना चाहिए।

(कार्यवाही–समस्त विभाग, उ0प्र0)

➢ जिन जिलों में जिला तम्बाकू समन्वय समिति का गठन नही किया गया है, उसे शीघ्रता से किया जाय।

(कार्यवाहीः–समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0)

➢ सभी विभागों द्वारा तम्बाकू नियंत्रण पर प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए ताकि जनमानस को जागरूक किया जा सके, जिस हेतु यह निर्णय हुआ कि उत्तर प्रदेश के सरकारी निगमों/स्वायत्त शासित संस्थाओं/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं यथा–उ0प्र0 कोऑपरेटिव फेडरेशन/उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम आदि के माध्यम से एन0सी0डी0 कार्यक्रमों के अर्न्तगत सम्बन्धित प्रचार–प्रसार एवं अन्य सामग्री का क्रय नियमानुसार कराया जाय। जिससे समस्त कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सके तथा जनमानस लाभान्वित हो सके।

(कार्यवाहीः–महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें)

➢ राज्य के सभी सरकारी कार्यालय/संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं सभी स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थानों को "तम्बाकू मुक्त" घोषित करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाहीः–समस्त जिला अधिकारी/समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0)

- तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के विभिन्न धाराओं (सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) का कड़ाई से अनुपालन एवं अनुश्रवण कराया जाये।

(कार्यवाहीः–पुलिस विभाग, उ0प्र0)

- जनपद–लखनऊ को तम्बाकू मुक्त घोषित किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से कार्ययोजना बनायी जाय तथा कार्ययोजना के अनुसार तम्बाकू मुक्त घोषित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना।

(कार्यवाहीः– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ)

- मासिक समीक्षा बैठक में राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव/निदेशक तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0 द्वारा सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अनुपालन में अनुश्रवण एवं समीक्षा की जाय एवं निषेधात्मक कृत कार्यवाही की सघन मासिक समीक्षा करते हुए उसकी सूचना का संकलन कर अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित की जाय।

(कार्यवाहीः–समस्त सम्बन्धित विभाग)

- "येलो लाइन" कैम्पेन को समस्त राजकीय/सरकारी प्रतिष्ठानों में चलाया जाय।

(कार्यवाहीः–महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, समस्त जिला अधिकारी, उ0प्र0 एवं समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0)

- जनपदों में सभी राजकीय/सरकारी प्रतिष्ठानों में कैम्पेन के माध्यम से तम्बाकू मुक्त प्रतिष्ठान की दिशा में सघन प्रयत्न करते हुए सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 को लागू किया जाय।

(समस्त जिला अधिकारी, उ0प्र0 एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0)

- प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति का गठन किया जाय।

(कार्यवाहीः–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0)

- कुम्भ मेला–2019 को तम्बाकू मुक्त घोषित करने के लिए प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण, होर्डिंग, बैनर के माध्यम से जागरूक करें।

(कार्यवाहीः–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद)

- प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनमानस के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में ई–सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने का निर्णय हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर कार्यवाही किया जाना।

(कार्यवाहीः– चिकित्सा अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन)

- सभी होटलों एवं पर्यटन स्थलों एवं अन्य विभागों में डी0एस0ए0 (नामित धूम्रपान क्षेत्र) का अनुपालन सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 अधिनियम की धारा–4 के प्राविधानों के अनुसार किया जाना

सुनिश्चित कराना, तथा तत्सम्बन्धी निषेधात्मक कृत कार्यवाहियों की मासिक समीक्षा करते हुए उसकी सूचना का संकलन कर सूचना अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित की जाय।

(कार्यवाहीः–स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग)

➢ प्रदेश में खुली सिगरेट पर लगे प्रतिबन्ध का प्रभावी अनुपालन किया जाय, तथा तत्सम्बन्धी निषेधात्मक कृत कार्यवाहियों की मासिक समीक्षा करते हुए उसकी सूचना का संकलन कर सूचना अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित की जाय।

(कार्यवाहीः–पुलिस विभाग/स्वास्थ्य विभाग/जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ)

➢ प्रदेश के प्रत्येक विद्यालयों में एक नोडल शिक्षक नामित किया जाय जो कि तम्बाकू नियंत्रण के कार्य को संचालित करेगा एवं विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करेगा।

(कार्यवाहीः–शिक्षा विभाग)

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(वी0हेकाली झिमोमी)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–7
संख्या–880/पाँच–7–2018
लखनऊः दिनांकः16 जुलाई, 2018

संख्या– (1)/पांच–7–2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3– डा0 सबिता भट्ट, निदेशक, स्वास्थ्य, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित विभागों को कार्यवृत्त की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4– डा0 आलोक कुमार, स्टेट नोडल आफीसर, टोबेको कन्ट्रोल।
5– श्रीमती सीमा गुप्ता, निदेशक, वालेन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन आफ इण्डिया।
6– डा0 राना जे0 सिंह, द यूनियन न्यू दिल्ली एण्ड/यू0पी0वी0एच0ए0 यू0पी0, लखनऊ।
7– श्री रंजीत कुमार सिंह, लीगत एक्सपर्ट, टोबेको कन्ट्रोल।
8– श्री सतीश त्रिपाठी, स्टेट कन्सलटेन्ट, एस0टी0सी0सी0।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरनाम)
उप सचिव।

दिनांक 15.08.2018 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर "तम्बाकू से आजादी" (Freedom from Tobacco) अभियान पर प्रस्तावित गतिविधियां:–

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित है कि जनपदों में सर्वप्रथम समस्त विभागों के प्रतिनिधियों की समन्वय बैठक आयोजित की जाय तथा बैठक में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के नियमों/उपनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी विभागों में नोडल अधिकारी नामित किये जाय एवं तत्सम्बन्धी विभागों के नोडल अधिकारियों को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रमों के दिशा–निर्देशों के अनुसार उनके कर्तव्यो/दायित्वों से अवगत कराया जाय।

समस्त विभागीय प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में आवश्यक साइनेजेज (सूचनापट्ट), प्रचार प्रसार सामग्री प्रदर्शित की जाय एवं सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि सरकारी प्रतिष्ठानों के 100 गज की परिधि में कोई भी तम्बाकू उत्पाद का क्रय–विक्रय न हो एवं उपयोग भी प्रतिबंधित हों, (यलों लाइन कैम्पेन) जिस हेतु जनपद में गठित Enforcement Squad द्वारा प्रत्येक माह में न्यूनतम दो बार छापेमारी की जाय, तत्संबन्धी रिपोर्टिंग सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को ससमय प्रेषित की जाय।

दिनांक 15.08.2018 को 72 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों/विभागों में **"तम्बाकू से आजादी"/"Freedom from Tobacco"** अभियान के क्रम में तम्बाकू न खाने/छोडनें हेतु शपथ ग्रहण कराया जाय **(शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न)**। समस्त विभागों में "Yellow Line Compaign" कराया जाय (इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से तकनीकी सहयोग लिया जा सकता है।)

उक्त के अतिरिक्त समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद को तम्बाकू मुक्त घोषित किये जाने हेतु निम्न गतिविधियां करायी जाय, जिससे कि दिनांक 26 जनवरी, 2019 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोटपा–2003 के अधिनियमों का प्रभावी अनुपालन कराते हुए समस्त जनपदों को तम्बाकू मुक्त घोषित किया जा सके।

उक्त गतिविधियों को सम्पन्न कराये जाने हेतु राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत उपयुक्त मद यथा–प्रशिक्षण, फ्लैक्सीपूल, आई0ई0सी0 इत्यादि मद से प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नियमों/उपनियमों एवं अन्य वित्तीय प्राविधानों के अनुरूप व्यय किया जा सकता है।

गतिविधियां–

1–**जनपदों में शैक्षणिक संस्थानों हेतु पूर्व में चलाये गये येलों लाइन कैम्पेन व तम्बाकू नियंत्रण अभियान का विस्तारीकरण–**

- प्रदेश के समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों यथा–कार्यालयों, विद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों व अन्य शासकीय भवनों में यलो लाइन कैम्पेन चलाया जाय।

क) **यलो लाइन हेतु आवाश्यक सामग्री**

- पीला पेन्ट आवाश्यकतानुसार
- पेन्ट करने हेतु ब्रश 3–4
- कैमरा

निदेशक (स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0

(Dr. Sunil Pandey)
राज्य कार्यक्रम अधिकारी/संयुक्त निदेशक (स्वास्थ)
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0 प्र0।

ग्व) यलो लाइन हेतु क्रियाकलापः–

सर्वप्रथम प्रतिष्ठानों/कार्यालयों के बाहरी ckm.Mjh@nhokjksa के 100 गज की परिधि पर पीली सीमा रेखा खींचकर तम्बाकू क्षेत्र का चिन्हाकन करने हेतु पेन्ट करें, तथा उस स्थान पर तम्बाकू मुक्त संस्थान (संस्थान का नाम) लिखें उदाहरणतयाः तम्बाकू मुक्त जिला अधिकारी कार्यालय, लखनऊ।

2– जिला, तहसील व ब्लाक स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण समितियों का गठन।

- राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की गाइड लाइन के अनुरूप प्रदेश, जिला व तहसील, ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटियों का गठन (प्रारूप संलग्न) हेतु प्रभावी कार्यवाही करना।
- जनपद व ब्लाक स्तरीय प्रवर्तन दलो का गठन व नोटिफिकेशन कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय स्तर पर स्कूल समिति के गठन हेतु कार्यवाही।
- जिला व ब्लाक स्तर पर प्रवर्तन दस्ते के छापामार कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही कराना।
- जिला व ब्लाक स्तर पर गठित प्रवर्तन दलों को चलान व रसीद बुक सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराया जाना।

3– समय–समय पर सरकारी विभागों अधिकारियों एवं प्रवर्तन दस्तो का संवेदीकरण व प्रशिक्षण के संबन्ध में प्रभावी क्रियान्वयन कराना।

- जिला स्तर पर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं कोटपा–2003 की धाराओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।
- जिला व ब्लाक स्तर पर गठित प्रवर्तन दलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।
- सभी जनपदों में जिला स्तर पर होने वाली बैठको में Tobacco Monitor App के प्रयोग व कोटपा–2003 की धाराओं के उल्लंघन की सूचना देने हेतु प्रशिक्षण दिया जाय।

4– प्रदेश के समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों को तम्बाकू मुक्त घोषित कराते हुये तम्बाकू मुक्त जनपद घोषित कराना।

- जनपद की समस्त स्वास्थ्य इकाइयों के कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त कराने हेतु अभियान चलाया जाय।
- जनपद के सभी सरकारी प्रतिष्ठानों को तम्बाकू मुक्त घोषित करने हेतु अभियान चलाया जाय।
- सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू की विक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू कराते हुये तम्बाकू मुक्त घोषित कराने का प्रयास किया जाय, एवं तम्बाकू नियंत्रण समिति का गठन किया जाय।
- प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतो में अभियान चलाकर तम्बाकू मुक्त घोषित कराने हेतु प्रयास किया जाय।

5– प्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण हेतु व्यापक प्रचार प्रसार गतिविधियां।

- प्रदेश के सभी जनपदों में कोटपा–2003 के प्राविधानों के अनुसार धारा–4 के साइनेज एवं धारा–6 B का साइनेज लगवाया जाय।
- कोटपा–2003 की धाराओं का अनुपालन न करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्ययोजना बनाकर प्रवर्तन दल के माध्यम से कार्यवाही की जाय।

Dinesh PA

Dr. Sunil Pandey

राज्य कार्यक्रम अधिकारी/संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0 प्र0।

- समस्त जनपदों में उपयुक्त स्थानो पर तम्बाकू के कुप्रभाव से सम्बन्धित प्रचार प्रसार हेतु प्रचार प्रसार सामग्री लगाया जाय।
- प्रदेश के सभी जनपदों में प्रचार–प्रसार, नुक्कड़ नाटक, रैली, आदि प्रतियोगिता के माध्यम से समुदाय को जागरूक कराना।

6– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं कार्य प्रगति की सूचना प्रेषण (रिपोर्टिंग)।

- सभी जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, द्वारा उक्त गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं समीक्षा कराते हुए निर्धारित प्रारूप पर सूचना राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 को प्रेषित करेंगे।
- जनपद में प्रत्येक ब्लाक स्तर पर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं कोटपा–2003 के प्राविधानों के अनुपालन सम्बन्धी प्रगति रिपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को प्रेषित की जाय।
- Tobacco Monitor App की रिपोर्टिंग हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर रिपोर्टिंग हेतु प्रोत्साहित करना।
- तम्बाकू मुक्त परिसर यलों लाइन कैम्पेन व तम्बाकू मुक्त संस्थानों की रिपोर्टिंग हेतु प्रारूप तैयार कर लगातार अपडेट की व्यवस्था की जाय।

7– जिला तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र (TCC) के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में–

जनपद में स्थापित जिला तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र में, जो व्यक्ति तम्बाकू का उपयोग कर रहे है, उन्हे तम्बाकू छोड़ने हेतु प्रेरित किया जाय तथा तम्बाकू छोड़ने हेतु उन लोगों को भारत सरकार के टोल फ्री नं0–1800112356 पर पंजीकरण कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाय।

8– फोकस ग्रुप डिस्कशन (FGD):–

जनपद में तम्बाकू उपयोग करने वाले व्यक्तियों के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन की गतिविधियां की जाय।

निदेशक (स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0

राज्य कार्यक्रम अधिकारी/संयुक्त निदेशक (स्वास्थ)
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0 प्र0।

दिनांक 15.08.2018 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर "तम्बाकू से आजादी" / (Freedom from Tobacco) अभियान पर झण्डा रोहण के समय शपथ ग्रहण कराने का प्रारूपः–

मै ———————— शपथ लेता हूँ/लेती हूँ कि अपने कार्यालय/ विद्यालय/गॉव/ शहर को धूम्रपान एवं तम्बाकू मुक्त बनाए रखने के महा अभियान में सच्चे मन के साथ सक्रिय रूप से भाग लूंगा/लूंगी व व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं स्वयं तम्बाकू का सेवन नही करूँगा/करूँगी तथा समाज के सभी लोगों को तम्बाकू न सेवन करने के लिये प्रेरित करूँगा/करूँगी तथा भविष्य में अपने विद्यालय/कार्यालय/गॉव/शहर को धूम्रपान एवं तम्बाकू मुक्त बनायें रखने के लिये किये जा रहे प्रयासों की अनवरत रूप से जारी रखने की दिशा में सामुदायिक सहभागिता के लिए सदैव संकल्प बद्ध रहूंगा/रहूंगी।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी/संयुक्त निदेशक (स्वास्थ)
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0 प्र0।